PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, New Delhi
Sunday 5th January 2014, Page: 9
Width: 8.66 cms, Height: 8.85 cms, a4, Ref: pmin.2014-01-05.41.85

दवा संगठन पर 50 करोड़ रुपए जुर्माना

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 'ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन' यानी एआईओसीडी पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीआई की दलील है कि ओआईओसीडी ने देश भर के केमिस्टों के साथ मिलीभगत करके दवा कंपनियों पर कीमत और वितरण के मामले में मनमानी शर्तें थोपी हैं।

सीसीआई का आरोप है कि एआईओसीडी फार्मा कंपनियों को दवाइयों पर ज्यादा मार्जिन लगाने का दबाव डालती है। इस वजह से दवाइयों के दाम बढ़ते हैं, लिहाजा आम आदमी को महंगी दवा खरीदनी पड़ती है। यहीं नहीं फार्मा कंपनियों को दवाइयों के वितरण और नई दवा लॉन्च करने पर भी कड़ी शर्तें लगाई जाती हैं। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन दवाइयों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके 7.5 लाख से ज्यादा सदस्य हैं।

> केमिस्टों के साथ मिलीभगत करके दवा कंपनियों पर कीमत और वितरण के मामले में मनमानी शर्तें थोपने का आरोप

G158

3